

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/83/2017/10-11/12/2155

भोपाल, दिनांक 19/07/18

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.),

वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- सागर जिले के अन्तर्गत कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 79.912 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2018-FC दिनांक 05.04.2018.

—0—

महोदय,

विषयांतर्गत में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गयी जानकारी प्राप्त की जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :-

- I. The State Government / User Agency have not submitted a copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan with the estimated cost of the plan.
- Catchment Area Treatment (CAT) Plan की प्रति संलग्न है
- II. The recommendation of the Principal Secretary (Forests) has not been submitted in original with official seal and the same is required to be uploaded on the forest clearance web portal in respect of said project.
- सचिव, वन मध्यप्रदेश शासन वन, विभाग की अनुशंसा भाग 5 में हस्ताक्षर पदनाम सील की प्रति संलग्न है, जिसको वेबपोर्टल पर प्रस्ताव के भाग-2 के बिन्दु क्रमांक 13 के नीचे अतिरिक्त जानकारी की टेबल के बिन्दु क्रमांक 2 पर अपलोड है।
- III. The user agency has not provided the shape file / KML of the CA for plantation and boundary of proposed forest.
- इस संबंध में लेख है, कि प्रकरण मे कलेक्टर, सागर के आदेश दिनांक 27.04.2017 से हस्तांतरित गैर वनभूमि ग्राम दरारिया खसरा नं० 413 अंश रकबा 79.912 हेक्टेयर के स्थान पर आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर, सागर के आदेश दिनांक 22.05.2018 से ग्राम फुलवारी प०ह०नं० 22 खसरा नं० 01 कुल रकबा 25.47 हेक्टेयर में से 14.912 हेक्टेयर एवं खसरा नं० 43 कुल रकबा 75.69 हेक्टेयर में से 65.00 हेक्टेयर हस्तांतरित की गयी है। इन्ही खसरो से प्राप्त गैर वनभूमि की KML file, जियो-रिफरेंस मेप एवं सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट तैयार की गयी है। जो संलग्न है। वेबपोर्टल पर भी KML file, जियो-रिफरेंस मेप एवं सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट अपलोड की गयी है। ग्राम फुलवारी खसरा नं० 01 एवं 43 का कुल रकबा 79.912 हेक्टेयर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने हेतु योजना संलग्न है।

-2-

IV. The purpose wise breakup of the forest land proposal for diversion has not been given.

- कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के ब्रेकप की जानकारी संलग्न है।

V. The user agency has not submitted undertakings to bear the cost of CA & NPV.

- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, सागर के वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि एवं एन.पी.व्ही की राशि जमा करने के संबंध में दो वचन पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

8/
18/7/18

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/83/2017/10-11/12/2156

भोपाल, दिनांक 19/07/18

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, कोलार तिराहे के पास, एम.ए.सी.टी. रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।
 3. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
 4. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल दक्षिण सागर, मध्य प्रदेश।
 5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

8/
18/7/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल